राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–360 / 2010

तारीख दायर :28.09.2010

अनवान

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

बनाम

01. हजारी पिता भंवरलाल रेगर निवासी कांस्या। ––वादी
02. भैरू पिता भंवरलाल रेगर निवासी कांस्या।
03. नन्दु पत्री भंवरलाल रेगर निवासी कांस्या।
04. शान्ति पुत्री भंवरलाल रेगर निवासी कांस्या।
05. कस्तूरी पुत्री भंवरलाल रेगर निवासी कांस्या (मृतक)
5.1 चान्दीबाई पुत्री देबीलाल पत्नि लादूलाल रेगर निवास सुखपुरा पारसोली तहसील बेगू हा.मुकाम पीपली तह. व जिला भीलवाड़ा
5.2 बजनाबाई पुत्री देबीलाल पत्नि गौरीशंकर रेगर निवास सुखपुरा पारसोली तहसील बेगू हा.मुकाम उम्मेदपुरा तहसील जावद जिला नीमच
5.3 कमलीबाई पुत्री देबीलाल पत्नि हीरालाल रेगर निवास सुखपुरा पारसोली तहसील बेगू हाल मुकाम तिखी का खेड़ा तह. बेगू जिला चित्तौड़गढ़
5.4 गणीबाई पुत्री देबीलाल पत्नि कैलाशचन्द्र रेगर निवास सुखपुरा पारसोली तहसील बेगू हा.मुकाम सेगवा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ कृपीपली तह. व जिला भीलवाड़ा
06. खन्नी पुत्री भंवरलाल रेगर निवासी कांस्या।
07. सरजू पत्री भंवरलाल रेगर निवासी कांस्या।
08. भगवान पुत्र बरदा रेगर निवासी कांस्या।
09. कैलाश पुत्र बरदा रेगर निवासी कांस्या।
10. सुशीला पुत्री बरदा रेगर निवासी कांस्या।
11. रमेशचन्द्र पुत्र बरदा रेगर निवासी कांस्या।
12. ऐजन बेवा बरदा रेगर निवासी कांस्या।
13. सीमा पत्नि तुलसीराम प्रजापत निवासी कांस्या।
14. सीताराम पुत्र नन्दा बलाई निवासी कांस्या।
15. खनिज अभियन्ता बिजौलियां।

प्रतिवादीगण

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

–:उपस्थित :–

01. श्री पैरोकार सरकार
02. श्री ओमप्रकाश शर्मा .....**अधिवक्ता** वादी
.....**अधिवक्ता** प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – :प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.:–

–: निर्णय :–

दिनांक : 19/08/2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित । उक्त प्रकरण में प्रतिवादी 1 से 3 की ओर से दिनांक 09.11.2017 को आदेश 7 नियम 11 जा .दी. का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि

01. यह है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने खातेदार विपक्षी सं० 1 भंवरलाल पिता जयराम रेगर, निवासी कास्यां द्वारा अपनी खातेदारी भूमि स्वर्णजाती के व्यक्ति विपक्षी सं0 2 व 3 के नाम खनन क्वारी लाईसेंस जारी करने में सहमति प्रदान करने को धारा 42 (बी) काश्तकारी अधिनियम का उल्लघंन मानकर धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही प्रारम्भ की है।
02. 02.यह है कि विपक्षी सं० 3 भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति होकर खातेदार भंवरलाल की श्रेणी में आता है। इस कारण धारा 42 (बी) के प्रावधानों का उल्लघंन नहीं है, इस प्रकार अभिवचनों एवं तथ्यों के आधार पर ही खारिज योग्य है।
03. यह है कि प्रार्थी तहसीलदार बिजौलिया के प्रकरण के अभिवचनों के आधार पर ही सहमति प्रदान की गयी है, वर्णित है। पूरे प्रकरण में हस्तान्तरण विलेख वर्णित ही नहीं है। इस प्रकार हस्तान्तरण के अभाव में धारा 42 (बी) के प्रावधान प्रभावित नहीं होकर विपक्षीगण के विरूद्ध वाद हेतुक प्रार्थी को प्राप्त नहीं होने से प्रकरण खारिज योग्य है।
04. यह है कि उक्त सहमति पत्र से खातेदारी अधिकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। खातेदारी अधिकार हमेशा खातेदार के ही सुरक्षित है। आज भी एवं हमेशा वादग्रस्त आराजी खातेदारी भंवरलाल के वारिसों के नाम रहेगी। वर्तमान में भी वारिसों के नाम दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार खातेदारी का हस्तान्तरण नहीं होने से धारा 42 (बी) के कार्यवाही हेतु प्रार्थी तहसीलदार को वाद हेतुक प्राप्त नहीं होता है। इस कारण वाद हेतु के अभाव में प्रकरण खारिज योग्य है।
05. यह है कि प्रार्थी तहसीलदार बिजौलिया वर्तमान में खातेदारी भूमि के सहमति विलेख का पंजीयन कर रहे है, जिनको खातेदार अ.जा./जनजाति के होकर सहमति स्वर्णजाति के व्यक्ति के पक्ष में हो रहा है, उदाहरणार्थ दिनांक 31–08–2015 को मौजा आंट, पटवार हल्का रेसून्दा की आराजी नं० 180/1, 180/2, 181, 182 के 4 चार सहमति पत्र विलेख भील व बलाई जाति के खातेदार का पंजीयन किया है। इस प्रकार प्रार्थी तहसीलदार बिजौलिया सहमति विलेख को हस्तान्तरण नहीं मानकर, पंजीयन कर रहा है, ऐसी स्थिति में इस विचाराधीन प्रकरण में दोहरी निति अपनायी नहीं जा सकती है, एवं

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रार्थी श्तहसीलदार विबंधन के सिद्धान्त से प्रतिबंधित होकर विपक्षीगण के विरूद्ध कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होकर प्रकरण खारिज योग्य है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि विचाराधीन प्रकरण रिकार्ड आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत वाद हेतुक के अभाव में खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 का जवाब तहसीलदार बिजौलियां द्वारा पेश किया गया जिसके तथ्य निम्नुसार हैं:–

उपरोक्त प्रकरण में विपक्षीगण संख्या 01 से 03 की और से प्रस्तुत आदेश 07 नियम 11 धारा 151 जा०दी के तहत दिनांक 09.11.2017 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वादी की ओर से निम्नानुसार जवाब पेश हैं

01. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 आंशिक स्वीकार है। अनुसुचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि में विपक्षी संख्या 02 सीमा पत्नी तुलसीराम जो कि स्वर्ण जाति की है के नाम खननलीज / क्यारीलाईसेन्स जारी करने से रा०टिएक्ट 1955 की धारा 42 (बी) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करने से उक्त अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 अस्वीकार हैं। खनिज विभाग द्वारा लीज / क्यारीलाईसेन्स की सूची क्रमांक 40 पर अप्रार्थी श्रीमति सीमा पत्नी तुलसीराम प्रजापत निवासी कास्या का नाम दर्ज है जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय का नहीं है।

3 प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 03 अस्वीकार है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 06 में यह अंकित है कि रा०टि०एक्ट 1955 की धारा 42 (बी) के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति जो उस समुदाय का व्यक्ति ना हो, हस्तान्तरित नहीं कर सकता है। प्रकरण में ग्राम देबीनिवास की आराजी नं0 184/164 रकबा 4.15 बीघा भूमि पर खननलीज / क्वारीलाईसेन्स स्वर्ण जाति के व्यक्ति को जारी किया गया है एवं मौके पर कब्जा स्वर्ण जाति के व्यक्ति का होने से लैण्ड होल्डर के नाते इस प्रकार के क्वारीलाईसेन्स को रा०टि०एक्ट के तहत चुनौती देने का अधिकार है।

4. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 04 अस्वीकार है। ग्राम देबीनिवास के आराजी नं0 184/164 रकबा 5.11 बीधा व 241/164 रकबा 4.15 बीघा भूमि में भंवरलाल रेगर के वारिसों के अलावा सीताराम पिता नन्दा बलाई एवं छीतरलाल पिता मोडूलाल रेगर का नाम भी दर्ज हो चुका है, जो कि भूमि विक्रय होने से उक्त आराजीयात् में इनका नाम भी दर्ज हुआ है। क्वारीलाईसेन्स / खनिजलीज में जुडी हुई आराजी में कब्जा स्वर्ण जाति का होने से रा०टि०एक्ट 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन होने से धारा 175 के तहत प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय में ही निहित है।

5. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 05 अस्वीकार है। अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की भूमि का सहमति विलेख पत्र स्वर्ण जाति के व्यक्तियों के पक्ष में किया गया जो कि दो पक्षो के बीच में हुऐ आपसी समझौते को उपपंजीयक द्वारा रजिस्ट्रर्ड किया गया है, न की तहसीलदार द्वारा सहमति विलेख का पंजीयन किया गया है। अनुसूचित जाति की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति का कब्जा होने से धारा 42 (बी) का उल्लंघन होने से लेण्ड होल्डर के नाते इस प्रकार के प्रकरण प्रस्तुत करने का अधिकार तहसीलदार को ही है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

चूंकि खातेदारी भूमि में क्वारीलाईसेन्स दिया गया है। अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की जमीन पर कब्जा स्वर्ण जाति के व्यक्ति का है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमावें।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 एवं तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 के जवाब को का अध्ययन करने एवं उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन एवं मनन करने पर मेरिट व गुणावगुण के आधार पर न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार करने योग्य है, **अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. आज दिनांक 19.08.2025 को स्वीकार कर पत्रावली को इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाता है।** आदेश खुले न्यायालय में दिनांक 19.08.2025 सुनाए गए। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

अजीत सिंह राठौड़ (RAS)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां
जिला– भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा